(10)

258

समक्ष : सम्मानीय सदस्य राजस्व मंडल ग्वालियर (म.प्र.)

निग - 1742 - I - 16

1. टोपीलाल पुत्र अशरफी लाल मोगिया
2. कपूरलाल पुत्र मशीन जी मोगिया

दोनों निवासी--ग्राम सुकवाहा तह. व जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

.... पुनरीक्षणकर्तागण

B.O.R.

18 MAY 2016

।। विरूद्ध ।।

(1) पुन्ना पुत्र मज्जा कुम्हार

(2) चंदन सिंह पुत्र भुवानी सिंह ठाकुर

दोनों निवासी ग्राम--सुकवाहा तह. व जिला टीकमगढ़

.... रेस्पाडेंट

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा. संहिता

पुनरीक्षणकर्ता पुनरीक्षण प्रस्तुत कर सम्मानीय न्यायालय से निवेदन करता हैं :-

उक्त पुनरीक्षण श्रीमान् अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा अपील प्रकरण में 41/बी 121 वर्ष 2013-14 में पारित आदेश दिनांक 20.04.2016 से परिवेदित होकर सम्मानीय न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षणकर्ता पुनरीक्षण प्रस्तुत है ।

43
23/05/16

1. यह कि श्रीमान् अपर आयुक्त सागर द्वारा पारित आदेश विधी प्रावधानों के प्रतिकूल होने से निरस्त किया जाना न्यायहित में हैं । एवं श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी जिला टीकमगढ़ द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाना न्यायहित में है ।

2. यह कि श्रीमान् अपर आयुक्त सागर संभाग द्वारा प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य का विधीवत अवलोकन नहीं किया है, और आदेश पारित करने में विधी की गंभीर त्रुटि कारित की हैं । इस कारण से वादग्रस्त आदेश निरस्त किया जाना न्यायहित में है ।

3. यह कि श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय ने प्रकरण में जो रिकार्ड उपलब्ध नहीं था उसे आधार बना कर आदेश पारित करने में गंभीर त्रुटि की है, यदि नायब तहसीलदार ने

COURT FEE
भारत INDIA
20
TWENTY RUPEES

XXXIX(a)-BR(H)-11

(2)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक..... निग. 1742-I/16 .... जिला .... टीकमगढ़ ....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8-2-17	1— आवेदक के अधिवक्ता कमल किशोर दुबे उपस्थित उनके के तर्क श्रवण किए। मैंने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्रकरण क्र. 41/बी—121/2013—14 मे पारित आदेश दि. 20/04/2016 के विरूद्व म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा—50 के तहत प्रस्तुत की गयी है। 2— आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय आदेश एवं दस्तावेजों का अवलोकन किया। जिसमें आवेदकगणों द्वारा तहसीलदार सर्मरा के समक्ष भूमि आवंटन आदेश दिनांक 28.06.1982 में आवेदन न होने एवं कूट रचित पट्टा प्राप्त किए जाने से तथा पट्टाधारियों को वर्ष 1981—82 से 1990—91 तक की अवधि के दिए गए पट्टे की अवधि को समाप्त हो जाने से भूमि शासन के नाम दर्ज करने हेतु निर्देशित किया है इस कारण अपर आयुक्त सागर द्वारा पारित उक्त आदेश में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। 3— उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.04.16 स्थिर रखा जाता है। निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	

[कृ. प. उ.